

प्रश्न सं. [क. 1667]

परिशिष्ट 'अ'

आर.सी.एम.एस. पोर्टल पर इंटीग्रेशन सेवाओं की जानकारी

01. राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड - 6 क्रमांक 4 के अनुसार प्राकृतिक प्रकोप से शारीरिक अंगहानि अथवा मृत होने पर आर्थिक सहायता दी जाना।
02. नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र।
03. भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट कॉपी का प्रदाय।
04. वन्य प्राणियों से फसल हानि का भुगतान राजस्व एवं वन ग्रामों में।
05. शोध क्षमता प्रमाण पत्र (5 लाख रु. तक)
06. शोध क्षमता प्रमाण पत्र (5 से 25 लाख रु. तक)
07. शोध क्षमता प्रमाण पत्र (25 लाख रु. से ऊपर)
08. राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत विभिन्न आपदाओं के प्रभावितों के आवेदन दिये जाने पर आर्थिक सहायता दी जाने संबंधी - 30 हजार रुपये तक
09. राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत विभिन्न आपदाओं के प्रभावितों के आवेदन दिये जाने पर आर्थिक सहायता दी जाने संबंधी - 30 हजार से 50 हजार रुपये तक
10. राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत विभिन्न आपदाओं के प्रभावितों के आवेदन दिये जाने पर आर्थिक सहायता दी जाने संबंधी - 50 हजार रुपये से 2 लाख तक के प्रकरण
11. भूमि का सीमांकन।
12. भूमि का बटवारा।
13. अविवादित नामान्तरण करना।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
राजस्व विभाग